फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

ओमप्रकाश बनाम मालाराम

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर 06 / 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.02.19 | अभिभाषक अपीलांट श्री नरसाराम जाखड़ उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि मौजा रोही बापेऊ के खेत खसरा नम्बर 351 तादद्दी 17.5800 हेक्टर भूमि पर अपीलांट का अविभाजित 1/12 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है।<br><br>उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनाा पत्र खारिज किया गया है।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलांट की खातेदारी भूमि से अपीलांट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। | |

अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर ही बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अंपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथस्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13–02–2019 को अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न आदेशिकाओं का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधन आदेश दिनांक 13–02–2019 को पारित किया गया है। उक्त आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में अपनी कोई विवेचना अंकित नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर बिना माईन्ड एप्लाई किये आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

चूंकि वादगत् भूमि में अपीलांट के हक व हकूकों का निर्धारण वादपत्र में तय होना है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन किये बिना व प्रकरण की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का स्थगन प्रार्थना व अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु पर विवेचना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

तब तक वादगत् भूमि रौही मौजा बापेऊ के खेत खसरा नम्बर 351 तादादी 17.5800 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। चूंकि पत्रावली में आगामी दिनांक 11–03–2019 नियत है अतः अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner